केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क के बगल में, अशोक वाटिका के पास, बीआरटीएस, इस्कॉन–अम्बली रोड, बोदकदेव, अम्बली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054

कॉर्पोरेट कार्यालयः सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई – 400063, महाराष्ट्र, भारत

फोन नं.: +91 22 61796400 ई–मेलः contact@kifshousing.com

वेबसाइटः www.kifshousing.com

सीआईएनः U65922GJ2015PLC085079 आरबीआई कोरः डीओआर–00145

भौतिक कब्जे की सूचना

श्री राजवंशी यादव (उधारकर्ता)
श्रीमती बिमल देवी (सह–उधारकर्ता)
वर्तमान पताः 863/55, लेखू नगर आर्य समाज मंदिर, लैंडमार्क आर्य समाज मंदिर, तृतीय नगर उत्तर पश्चिम दिल्ली दिल्ली–110035
स्थायी पताः एच नं. 217, गांव महुआ ऐकदरा, लैंडमार्क मंदिरपोस्ट कुवाध, मधुबनी मधुबनी बिहार–847211
जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06.01.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें आपसे उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपने ऋण खाता संख्या LNHEDEL008296 के विरुद्ध नोटिस में उल्लिखित राशि **रु. 32,30,809/– (रुपये बत्तीस लाख तीस हजार आठ सौ नौ मात्र)** चुकाने का आह्वान किया है।

आप, राशि वापस करने में विफल रहे हैं, इसके द्वारा आपको और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 8 के साथ इस वर्ष **24 जून 2024** को केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को बंधक रखी गई है।

आपको विशेष रूप से और आम जनता को संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को 32,30,809/– रुपये (बत्तीस लाख तीस हजार आठ सौ नौ रुपये मात्र) की राशि के लिए प्रभारित किया जाएगा, जो 20 दिसंबर, 2023 तक देय है, जिसमें 21 दिसंबर, 2023 से भुगतान तक ब्याज भी शामिल है।

संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, खसरा नंबर 512/2, मलिक सिटी कॉलोनी, फेज–2, मदीना गार्डन, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 पर स्थित मकान। बिक्री विलेख के अनुसारः पूर्वः जाहिद का मकान, पश्चिमः विमल देवी का प्लॉट, उत्तरः अन्य का प्लॉट, दक्षिणः 15 फीट चौड़ी सड़क साइट के अनुसारः पूर्वः जाहिद का मकान, पश्चिमः विमल देवी का प्लॉट, उत्तरः अन्य का प्लॉट, दक्षिणः 15 फीट चौड़ी सड़क

स्थानः गाजियाबाद — **हस्ता/– अधिकृत अधिकारी**
दिनांकः 24.06.2024 — **केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष
कंपनी आवेदन संख्या सी.ए.(सीएए)/5/चंडीगढ़/हरियाणा/2024
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में;
और
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत आवेदन के मामले में और
सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सीट्ज ऑटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में।

सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [CIN: U74899HR1975PTC107706], कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक निजी लिमिटेड कंपनी है, और इसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर - 38, सेक्टर - 6, फरीदाबाद, हरियाणा - 121 006 पर है

आवेदक कंपनी 1 / विभाजित कंपनी

सीट्ज ऑटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड [CIN: U29300HR2023PTC117048], एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर - 38, सेक्टर - 6, फरीदाबाद, हरियाणा - 121 006 पर है

आवेदक कंपनी 2 / परिणामी कंपनी

सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक की सूचना और विज्ञापन

सूचित किया जाता है कि 31 मई, 2024 के आदेश द्वारा, कंपनी आवेदन **संख्या सी.ए.(सीएए)/5/चंडीगढ़/हरियाणा/2024** (आदेश) में, माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच (एनसीएलटी / न्यायाधिकरण) ने अन्य बातों के साथ-साथ सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 1 / विभाजित कंपनी /एसटीआई) के सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सीट्ज ऑटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 2 / परिणामी कंपनी / एसएटीपीएल) (सामूहिक रूप से आवेदक कंपनियों के रूप में संदर्भित) और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच प्रस्तावित व्यवस्था की योजना (योजना) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदन करना है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 230 से 232 और किसी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार उल्लिखित तिथि और समय पर है, जैसा कि आदेश में दिया गया है।

उक्त आदेश के अनुसरण में तथा उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार, यह सूचना दी जाती है कि आवेदक कंपनी 1 के सुरक्षित लेनदारों तथा असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठकें, नीचे उल्लिखित समय पर, डिलाइट सरोवर पोर्टिको, प्लॉट संख्या 17-18, नीलम बाटा रोड, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा - 121 001 में आयोजित की जाएगी। आवेदक कंपनी 1 के सुरक्षित लेनदारों तथा असुरक्षित लेनदारों से अनुरोध है कि वे संबंधित बैठकों में भाग लें। ये बैठकें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में होंगी:

कंपनी का नाम	बैठकों	बैठकों की तिथि व समय	मोड
सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सुरक्षित लेनदार	शनिवार, 27 जुलाई, 2024 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी)	रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ भौतिक बैठक
सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	असुरक्षित लेनदार	शनिवार, 27 जुलाई, 2024 को दोपहर 12:30 (आईएसटी)	रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ भौतिक बैठक

धारा 102 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के साथ धारा 230(3) के तहत व्यवस्था की योजना, नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण की प्रति, कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम 2016 के नियम 6 और उसमें संशोधन (सीएए नियम), और इसके अनुलग्नक आवेदक कंपनी 1 की वेबसाइट https://sietz-india.com/ और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com से प्राप्त और डाउनलोड किए जा सकते हैं, और इसके अलावा आवेदक कंपनी 1 के पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर - 38, सेक्टर - 6, फरीदाबाद, हरियाणा - 121 006 में बैठक से पहले किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे के बीच सभी दिनों (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) पर निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। संबंधित बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार व्यक्ति या तो रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके मतदान कर सकता है या बैठक के दौरान बैलट पेपर के माध्यम से मतदान कर सकता है।

न्यायाधिकरण ने श्री अमित चौधरी, अधिवक्ता को अध्यक्ष, सुश्री वेदिका गांधी, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष तथा श्री कंवलजीत सिंह, कंपनी सचिव को सुरक्षित लेनदारों तथा असुरक्षित लेनदारों की बैठकों के लिए जांचकर्ता नियुक्त किया है, जिसमें एनसीएलटी के आदेश के अनुसार किसी भी स्थगन के लिए भी शामिल है। यदि उक्त बैठक में योजना को मंजूरी मिल जाती है, तो वह न्यायाधिकरण की बाद की मंजूरी के अधीन होगी।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि:

1) आदेश के अनुपालन में, उपरोक्त बैठकों के लिए नोटिस में निर्धारित विषय को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से तथा बैठक के दौरान बैलट पेपर से मतदान की सुविधा के साथ किया जाएगा। आवेदक कंपनी 1, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए आवश्यक निर्देश 20 जून, 2024 के नोटिस में दिए गए हैं। यह सुविधा आवेदक कंपनी 1 के सुरक्षित लेनदारों तथा असुरक्षित लेनदारों को कट-ऑफ तिथि अर्थात 30 नवंबर, 2023 को प्रदान की जा रही है।

2) एसटीआई ने 24 जून, 2024 तक सुरक्षित लेनदारों तथा असुरक्षित लेनदारों की बैठकों की सूचना तथा व्याख्यात्मक विवरण तथा अन्य अनुलग्नकों को संबंधित सुरक्षित लेनदारों तथा असुरक्षित लेनदारों को 30 नवंबर, 2023 तक ईमेल/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने का कार्य पूरा कर लिया है। एसटीआई के पात्र सुरक्षित लेनदार और असुरक्षित लेनदार बैठकों में मतदान करने के हकदार होंगे। कोई व्यक्ति/संस्था जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार एसटीआई का पात्र सुरक्षित लेनदार या असुरक्षित लेनदार नहीं है, उसे उक्त बैठकों की सूचना को केवल सूचना के लिए लेना चाहिए।

3) सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की उक्त बैठकों के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 24 जुलाई, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि के अनुसार सुरक्षित लेनदार और असुरक्षित लेनदार दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे सकते हैं। उक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा को अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब सुरक्षित लेनदार और/या असुरक्षित लेनदार द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मामले पर वोट डाला जाता है, तो उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने से सुरक्षित लेनदार और असुरक्षित लेनदार बैठकों में भाग लेने से वंचित नहीं होते हैं। हालांकि, जो लोग बैठकों की तिथि से पहले ही वोट कर चुके हैं, वे बैठकों में वोट करने के हकदार नहीं होंगे। बैठकों में वोट डाले जा सकते हैं और जिन्होंने बैठकों से पहले अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठकों में वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के हकदार होंगे।

4) बैठकों के संवीक्षक प्रस्तावों के पक्ष में और खिलाफ़ डाले गए कुल वोटों और अमान्य वोटों, यदि कोई हो, की एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट बनाकर बैठकों के अध्यक्ष को लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे।

5) आवेदक कंपनी 1 के सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों को कट-ऑफ तिथि के अनुसार अपनी-अपनी बैठकों में भाग लेने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि आवेदक कंपनी 1 का सुरक्षित लेनदार और/या असुरक्षित लेनदार कोई कॉर्पोरेट/कॉर्पोरेट निकाय है, तो अधिनियम की धारा 113 के अनुसार, वे अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बैठकों में भाग लेने के हकदार हैं। ऐसे कॉर्पोरेट लेनदारों को compliances@sietz-india.com पर ईमेल के माध्यम से या आवेदक कंपनी 1 के पंजीकृत कार्यालय में जमा करके बोर्ड के प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजनी होगी, जो ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करती है और अधिकृत प्रतिनिधि की आईडी उक्त बैठकों के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले बैठकों में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करती है।

रिमोट ई-वोटिंग और बैठकों के दौरान ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत के मामले में, आवेदक कंपनी 1 के सुरक्षित लेनदार और असुरक्षित लेनदार एनएसडीएल को 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

Sd/-
दिनांकः 25 जून, 2024 — **राजीव खन्ना**, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
स्थानः फरीदाबाद — सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

DMI HOUSING FINANCE

डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002,
फोनः +91 11 41204444 F: +91 11 41204000 dmi@dmihousingfinance.in U65923DL2011PTC216373

[नियम 8(1) देखें] कब्जे की सूचना [अचल सम्पत्तियों हेतु]

जबकि प्राधिकृत अधिकारी ने डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (2002 का 54) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दिनांक को एक माँग नोटिस जारी करके नीचे वर्णित ऋणधर्ता/सह-ऋणियों को नोटिस में वर्णित राशि उक्त नोटिस के मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था। ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणियों/सह-ऋणियों/ बंधककर्ताओं/ जमानतदारों और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा नीचे वर्णित दिनांक को प्राप्त कर लिया है। ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन साधारण को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संव्यवहार न करें। निम्नलिखित संपत्तियों का कोई भी संव्यवहार डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड के निम्न वर्णित रूपयों + अनुबंध की दर से आगे का ब्याज पूर्ण भुगतान होने तक एवं खर्चों के अध्यधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणियों/सह-ऋणीयों के नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना दिनांक / कब्जे की दिनांक	बकाया राशि
1.	ऋणी- रमेश पुत्र इन्दर गिरी और अंजली पत्नी रमेश (सह-ऋणी)	सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें प्लॉट नंबर 59, खसरा नंबर 422ख, 540, 541क, 542, 641 एवं 642 जो राजस्व ग्राम बटजेवरा (गार्डन सिटी) परगना दौराला, तहसील सरधाना, जिला मेरठ, उत्तरप्रदेश 250002 में स्थित है।	14.07.2021 22-06-2024	रु. 4,01,965/- (रूपये चार लाख एक हजार नौ सौ पैंसठ मात्र) दिनांक 30 जून, 2021 तक
2.	ऋणी- अनुराग जॉन पुत्र अनिल एडगर जॉन और मोनिका शर्मा पत्नी अनुराग जॉन (सह-ऋणी)	सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जो 'फ्लैट नंबर-307, तीसरी मंजिल, सुधा होम्स, प्लॉट नंबर-87, खसरा नंबर-1600, वेलकम सिटी, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, गांव- शाहबेरी, गौड ब्रॉक, दादरी, जीबी नगर, उत्तरप्रदेश 201009 भारत' में स्थित है।	10.10.2022 24-06-2024	रूपये 12,08,498/- (रूपये बारह लाख आठ हजार चार सौ अठ्यानवे मात्र) दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 तक

ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

दिनांकः 25.06.2024 स्थानः दिल्ली एनसीआर — हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी)
डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

SBFC

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः– यूनिट नंबर 103, प्रथम तल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी–कुर्लारोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400059

कब्जा सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरी सुरक्षाकरण, वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप मे और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं पर डिमांड नोटिस जारी किया है जिसमे यह कहा गया है कि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकानी होगी।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता और आम जनता को कोई सूचना नहीं दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित नीचे दी गई तारीखों कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का नाम और पता और मांग नोटिस की तारीख	संपत्ति(यों) का विवरण और कब्जे की तारीख	कब्जा नोटिस में मांगी गई राशि (रु.मे)
1.राजिंदर कुमार, 2. मंजू, 2. राहुल आनंद सभी का पता प्रॉपर्टी नंबर 8636, ब्लॉक बी या 67 खसरा नंबर 1185, बाग राव जी, रोहतक रोड, किशन, नई दिल्ली – 110080 पर है। डिमांड नोटिस की तारीखः 24 नवंबर 2022 लोन अकाउंट नंबर 13100002050DH (PR00686895)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें बिल्ट अप प्रॉपर्टी नंबर 8636 है, ब्लॉक बी या 67 खसरा नंबर 118/5 में फ्रीहोल्ड बिल्ट अप प्रॉपर्टी का पूरा तीसरा फ्लोर जिसमें छत के अधिकार और ऊपर है, जिसका माप लगभग 178 वर्ग मीटर है। टीडीएस बाग राव जी, न्यू रो. हतक रोड, किशन गंज, नई दिल्ली में स्थित कब्जे की तिथिः 20 जून, 2024	21 नवंबर 2022 तक रु.2888925/– (अट्ठाईस लाख अठासी हजार नौ सौ पच्चीस रुपये मात्र)

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान – नई दिल्ली — **हस्ता/–(प्राधिकृत अधिकारी)**
दिनांक – 26–06–2024 — **एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड।**

APRI GLOBAL

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय : 502, टॉवर–ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013
परिमंडल कार्यालय का पता : 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत। अधोहस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं निर्गत की हैं, जिनमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं) (''उक्त ऋणकर्ता(ओं)'') को उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं) में अंकित राशियों का, जो नीचे तालिका में भी दी गई हैं, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त ऋणकर्ता(ओं) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवसों के अंदर उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋणानुबंध के अंतर्गत भुगतानयोग्य, यहां इसमें निम्नांकित राशियों का निम्न अंकित तिथि(यों) से लेकर के भुगतान तथा/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक राशियों पर आकलित भावी लागूयोग्य ब्याज के साथ सीजीएचएफएल को भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में निम्नलिखित परिसंपत्तियों को उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा सीजीएचएफएल के पास क्रमशः बंधककृत रखा गया है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या LNHLMAY000010371 (पुराना) 51200000822554 (नया) (मयूर विहार शाखा) इंद्रजीत कुमार (ऋणकर्ता) श्रीमती रीना कुमार (सह–ऋणकर्ता)	19–जून–24 रु. 971109	डीबीए फ्लैट संख्या 31 धारक स्वामित्वधारक / आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो द्वितीय तल, पॉकेट 3 ब्लॉक एफ–8, सेक्टर जी–8, नरेला, उत्तर–पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110040 में स्थित है, जिसका अवस्तंभ क्षेत्रफल (सामान्य क्षेत्र सहित) 33.25 वर्ग मीटर, कॉरपेट एरिया 25.30 वर्ग मीटर है।
2.	ऋण खाता संख्या LNHLGUR000008610 (पुराना) 51200000732579 (नया) (गुड़गांव शाखा) मुकेश कुमार (ऋणकर्ता) श्रीमती कौशल्या (सह–ऋणकर्ता)	19–जून–24 रु. 125994	सं. बी–105 धारक फ्लैट के रूप में विद्यमान भूमि धारक संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो टॉवर नं. बी, प्रथम तल, क्षेत्रफल लगभग 550 वर्ग फुट, तिजारा होम्स के रूप में विदित परियोजना, चंदर लोक सिटी, खसरा नंबर 188, 189, (16744.40 वर्ग गज) में स्थित, ग्राम बलियावास (नगर पालिका तिजारा) तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान – 301411 में स्थित है।

यदि उक्त ऋणकर्तागण उपर्युक्तानुसार सीजीएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे तो सीजीएचएफएल लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त ऋणकर्ताओं के संपूर्ण जोखिमों पर अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागूयोग्य नियमावली के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। उक्त ऋणकर्ताओं को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे उपर्युक्त परिसंपत्तियों का सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

स्थान : दिल्ली, अलवर / दिनांक : 26–06–2024 हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी), — **कृते कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल)**

SBFC

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सी एण्ड बी स्क्वॉयर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400059

अधिग्रहण सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिन्हें सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्तागण राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्नांकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ताओं के नाम एवं पते तथा मांग सूचना की तिथि	संपत्ति(यों) का विवरण तथा अधिग्रहण की तिथि	अधिग्रहण सूचना में मांगकृत राशि (रु.)
1. शिव डाई कटर और धर्म ज्वेलर्स, पताः रोवा राम हलवाई वाली गली, सुभाष बाजार, हलवाई हट्टा के पास, पानीपत, हरियाणा–132103., 2. धर्मवीर वर्मा, 3. ऊषा वर्मा, नंबर 2 और नंबर 3 का पता : मकान नं. 25, भट्टन मोहल्ला, हनुमान मंदिर के पास, वार्ड नंबर 11, करनाल, हरियाणा– 132114 और 4. शिव राज वर्मा, जिनका पता, मकान नंबर 799/8, नवीन रमेश नगर, तहसील कैंप, पानीपत, हरियाणा– 132103 में स्थित। मांग सूचना तिथि : 9 जुलाई 2021 ऋण संख्या 4021060000025933–सी (पीआर00711061), एमई2805–सी (पीआर00721295) और एमई25019 (पीआर00811602)	मकान नंबर 25 के संपत्ति भाग के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका क्षेत्रफल 74 वर्ग गज है जो घरौंदा, वार्ड नं. 13 में, नगर निगम की सीमाओं के अंदर, तहसील घरौंदा, जिला करनाल में स्थित है तथा संपत्ति की सीमा इस प्रकार है– पूर्वः 26' गली, पश्चिमः 26.3' चरणजीत का घर, उत्तरः खाली प्लॉट, दक्षिणः 25' मदन लाल। अधिग्रहण की तिथि : 24 जून 2024	रु. 30,13,945/– (रुपये तीस लाख तेरह हजार नौ सौ पैंतालीस मात्र) 24 फरवरी 2024 के अनुसार

उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थान : करनाल, दिनांक : 26–06–2024 — **हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी), एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड**

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात-362266
कॉर्पोरेट कार्यालयः आर-टैक पार्क, 10वाँ तल, निर्लोन कॉम्पलैक्स, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, गोरेगाँव ईस्ट- मुंबई-400063
शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-**110001**

मांग सूचना सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत

आप अधोल्लिखित कर्जदार ने अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति के बंधन द्वारा ऋण प्राप्त किया है और आप अधोल्लिखित ऋण करार के लिए कर्जदार/सह-कर्जद